GOVERNMENT OF INDIA | BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS | RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)
****

RBE No. 6/93.

No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, Dated: 14.1.1993.

The General Managers,
All Indian Railways etc.
(as per mailing lists No.I&III).

Sub: Grant of Hospital Leave - Provisions under Rule 554-R.I., 1985 edition - Item No.103/89 of the JCM/DC Meeting.

Reference Board's letters of even numbers dated 28.11.91 and 30.1.92 on the subject cited above. Consequent upon discussions with the Staff side in the JCM/DC Meeting held on 25/26.5.92, the matter has been reviewed by the Board.

2. Accordingly, in partial amendment of the orders contained in Board's letters ibid dated 28.11.91 and 30.1.92, Divisional Rail Managers (DRMs)/Chief Workshop Engineers (CWEs) are empowered to relax the provisions of Rule 554-R.I., 1985 edition, in individual cases, meriting sanction of Hospital leave beyond a period of 120 days on leave salary equal to leave salary while on leave on average pay, subject to such cases being reviewed by the Medical Superintendants and concurred in by Senior Divisional Accounts Officer/Associate Accounts Officer. Also, a list of such cases should be put up to the General Managers half yearly for their post-facto approval. These powers are to be exercised personally by the DRMs/CWEs and are not to be delegated further. It has also been decided that cases that occured during the intervening period, i.e. from 1985 onwards, where the Railways have already sanctioned Hospital Leave for periods beyond 120 days on leave salary equal to leave salary while on leave on average pay, need not be re-opened.

3. This has the approval of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Necessary code correction will follow.

5. Kindly acknowledge receipt.

DA: NIL.

(A.C. BAKSHI)
JOINT DIRECTOR, ESTT. (P&A)
RAILWAY BOARD.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर.बी.ई. सं0 6/93.

सं. ई(पीएंडए)I-89/जेसीएम/डीसी-5 नई दिल्ली, दि0 14.1.1993

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें इत्यादि
(डाक सूची सं. I एवं III के अनुसार).

विषय:- अस्पताल अवकाश प्रदान करना - नियम 554-आर.I, 1985 संस्करण के अंतर्गत प्रावधान - सं. परा. तंत्र/विभागीय परिषद बैठक की मद सं. 103/89.

===========

यह पत्र उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के 28.11.91 तथा 30.1.92 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में है। 25/26.5.92 को आयोजित संयुक्त परामर्श तंत्र/विभागीय परिषद बैठक में कर्मचारी पक्ष के साथ विचार विमर्श के परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा इस मामले की समीक्षा की गई है।

2. तदनुसार, बोर्ड के 28.11.91 तथा 30.1.92 के पत्रों में अतिविष्ट आदेशों में आंशिक आशोधन करते हुए, मंडल रेल प्रबंधक/मुख्य कार्यशाला इंजीनियर को अलग-अलग मामलों में, औसत वेतन अवकाश पर होने के समय अवकाश वेतन पर 120 दिनों की अवधि के बाद, अवकाश वेतन के बराबर अस्पताल अवकाश की स्वीकृति से संबंधित नियम 554-आर.1, 1985 संस्करण के प्रावधानों में छूट देने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं बशर्ते कि चिकित्सा अधीक्षक द्वारा इन मामलों की समीक्षा की जाए तथा वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। ऐसे मामलों की सूची भी महाप्रबंधक के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रत्येक छमाही में प्रस्तुत की जानी चाहिए। इन शक्तियों का प्रयोग आगे प्रत्यायोजित न करते हुए मं. रे. प्रबंधकों/मु. कार्यशाला इंजीनियरों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। यह भी विनिश्चय किया गया है कि वैसे मामले, जो मध्यवर्ती अवधि अर्थात् 1985 के बाद उत्पन्न हुए हों तथा जिनके संबंध में रेलें औसत अवकाश पर होने के समय, अवकाश वेतन पर 120 दिनों की अवधि के बाद,

No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, Dated: 14.1.1993

Copy forwarded to the FA & CAOs, All Indian Railways etc.

(A.C. BAKSHI)
JOINT DIRECTOR, ESTT.(P&A)
RAILWAY BOARD.

DA: Nil.

No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, Dated: 14 .1.1993

Copy forwarded to the Federations etc.

DA: Nil. for Secretary/Railway Board.

No.E(P&A)I-89/JCM/DC-5 New Delhi, Dated: 14 .1.1993.

Copy with 40 spares forwarded to the ADAI(Rlys) New Delhi.

DA: Nil. for Financial Commissioner/Rlys.

Copy to:- PS toCRB, FC, ME, MM, MS, ML, Adv.(Staff), Adv.(Finance) & Secretary.

Sr. PAs to EDPC, EDE, EDEB, EDF(B), EDE(N), EDE(IR), ED(PR) & EDPG.

PAs to DF(E), JDE(P&A), JDE(L), JDE(LL), JDE(D&A), JS(G), JS(E), DS(E), DS(G), DS(A), US(D&A)I & II, DDE(G), DDF(E)I, II, & III,

E(P&A)II, PC III, PC IV, ERB-I, II, III, IV, E(O)I, E(O)II, III, CASH I, II, III, E(GC), BUDGET BRANCHES, E(LR)I, F(E)I, II, III, SPL. A/CS III(with 10 Spares), A/CS Inspection Cell (with 3 spares), E(G) (with 5 spares), E(W), E(NG)I, II, E(D&A), Code Revision Cell, E(Rep) I, II, III.

अवकाश वेतन के बराबर अस्पताल अवकाश की स्वीकृति पहले ही दे चुकी हों उन्हें फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है ।

3. इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है तथा रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

4. आवश्यक संहिता शुद्धिपत्र बाद में जारी किए जाएंगे ।

5. कृपया पावती दें ।

(ए. सी. बक्शी)
संयुक्त निदेशक, स्था. (वे. एवं भ.),
रेलवे बोर्ड.

संलग्न : कुछ नहीं.

सं. ई(पीएंडए)I-89/जेसीएम/डीसी-5 नई दिल्ली, दि० 14.1.1993

प्रतिलिपि वि. स. एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलों को प्रेषित ।

(ए. सी. बक्शी)
संयुक्त निदेशक, स्था. (वे. एवं भ.),
रेलवे बोर्ड.

संलग्न : कुछ नहीं.

सं. ई(पीएंडए)I-89/जेसीएम/डीसी-5 नई दिल्ली, दि० 14.1.1993

प्रतिलिपि फेडरेशन इत्यादि को अग्रेषित ।

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.

संलग्न : कुछ नहीं.

सं. ई(पीएंडए)I-89/जेसीएम/डीसी-5 नई दिल्ली, दि० 14.1.1993

प्रतिलिपि भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/रेलें को 40 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित ।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें.

संलग्न : कुछ नहीं.

-:-